

-12-23

सरकार पैरोकार उप०। सरकार पैरोकार तहसीलदार लॅण्ड
 होल्डर करौली डाप प्रार्थना पात बाबत पापवली तलब तथा
 दावा किडो प्रस्तुत किया गया। जितने प्रार्थी तहसीलदार
 लॅण्ड होल्डर करौली डाप दरखास्त पैत्रा का निवेदन किया
 गया है कि इन दावों को किडो कारण चाहिए है जतः
 आदेश प्रदान किए जाए। उपरान्त लिखिल प्रक्रिया लेखित
 1908 के आदेश 23 नियम 1 (1) के आधार पर वाद को
 किडो करने की अनुमति दी जाती है। न्यायालय in vito
 beneficiary non debtor के लिखित में बाध्य है। अतः वाद
 किडो करने के आदेश दिए जाते हैं परन्तु साथ ही चूंकि
 वाद राजकीय पैरोकार डाप प्रस्तुत किया गया था व अतः
 बिना किसी एप्ल काण के किडो किया जा (ए) है ता
 न्यायालय यह उचित लक्षता है कि राजकीय पैरोकार के
 उच्चाधिकारियों के लक्षण के आवश्यक विनागीय कार्रवाई
 यदि चाही जावे हेतु लामा जात्रा उचित रहेगा। अतः उपर
 अनुगत तहसील की जाते को जाए। आदेश (उसे न्यायालय में
 हुआ गया।

उपखण्ड अधिकारी
 करौली (राज०)